सं0-2589/62-2-2016-2/3(33)/2013टी0सी0

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 **लखनऊ- दिनांक- 04 नवम्बर,2016**

विषय- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढ़ृढ़ीकरण/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त धनराशि को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-470/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/2013-14, दिनांक 09.8.2016 के क्रम में शासनादेश सं0-2205/62-2-2016-2/3(35)/2013टीसी, दिनांक 22.9.2016 एवं अपने पत्र सं0-जी-501/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/2013-14, दिनांक 27.9.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- **इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बली-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 एवं वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0-ए-1-235/दस-2011-15/1(1)/69, दिनांक 10.6.2011 के प्रस्तर-3(5) में दी गयी व्यवस्था के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुढ़ृढ़ीकरण/विशेष मरम्मत हेतु उपर्युक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 22.9.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0-13.00 लाख कार्यदायी संस्था को हस्थानान्तरित करते हुए उपलब्ध कराये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।**

3- **यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 10.6.2011 में दी गयी व्यवस्था तथा दिये गये परामर्श के क्रम में जारी किये जा रहे है।**

भवदीय,
(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-2589(1)/62-2-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान,बी0के0टी0, लखनऊ।

4- संबंधित जिलाधिकारी।

5- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।

6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

7- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

11- एन0आई0सी0 की प्रति।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।